डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी **श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)**

वाद सं. : 43/2019

1. कालूराम पुत्र स्व. गंगाबक्स मीणा

   निवासी ग्राम सांगावाला, तहसील आमेर, हाल ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र सूरजमल रैगर
   निवासी ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. कैलाशचन्द पुत्र कानाराम मीणा

   निवासी ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड आमेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश

उपस्थितः— अधिवक्ता वादी श्री रामजीलाल वर्मा

निर्णय **दिनांकः 22.01.2021**

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 140, 140/1 कुल खसरा किता 2 रकबा 1.24 है. तथा वादी की शामलाती सहखातेदारी भूमि आ.ख.नं. 358, 373/525, 374 कुल खसरा किता 3 रकबा 1.15 है वाके ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर में विधिक प्रक्रिया के अभाव में जबरन सडक निर्माण कार्य ना करें तथा भूमि में डाली गई मोरम को अतिशीघ्र हटवाया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.26 14:14:54 IST
Reason: SelfAttested

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 22.01.2021 को जारी कियागया।
दस्तखत———
ओहदा———

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जीदावा		—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजहसबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.26 14:14:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी :श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

वाद सं. : 43/2019

2\. कालूराम पुत्र स्व. गंगाबक्स मीणा

निवासी ग्राम सांगावाला, तहसील आमेर, हाल ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

5\. रामनारायण पुत्र सूरजमल रैगर

निवासी ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर।

6\. कैलाशचन्द पुत्र कानाराम मीणा

निवासी ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

7\. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहपुरा, जिला जयपुर।

8\. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड आमेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश</u>

उपस्थितः— अधिवक्ता वादी श्री रामजीलाल वर्मा

निर्णय **दिनांकः 22.01.2021**

वादी की ओर से ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित **स्वयं की एकल खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि (विवादित भूमि) आ.ख.नं. 140, 140/1 कुल खसरा किता 2 रकबा 1.24 है. तथा शामलाती सहखातेदारिता की भूमि आ.ख.नं. 358, 373/525, 374 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.15 है.** के सन्दर्भ हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है, फिर भी प्रतिवादीगण सं. 3, 4 प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के साथ मिलीभगत कर वादी की उपरोक्त वर्णित एकल खातेदारी की तथा संयुक्त खातेदारिता की भूमि में सडक निकालने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। इस क्रम में प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 (सार्वजनिक निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.26 14:14:54 IST
Reason: SelfAttested

विभाग) द्वारा ग्रेवल सडक का निर्माण किया जा रहा है तथा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर मोरम भी डाल दी है तथा जबरन ही वादी की खातेदारी/सहखातेदारी की भूमि में सडक निकालने की गैर कानूनी/अविधिक कार्यवाही की जा रही है जबकि इस हेतु **ना तो भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया अपनाई गई है तथा ना ही किसी प्रकार का कोई कानूनी नोटिस खातेदारान को दिया गया है।** जिसके पश्चात ही कानूनन कार्यवाही के अन्तर्गत खातेदारान की निजी खातेदारी भूमि में सडक निकाली जा सकती है। फिर भी प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त खातेदारी भूमि के आसपास सडक बना दी है तथा अब वादी की उक्त खातेदारी भूमि में भी सडक बनाने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। जिससे वादी को प्रतिवादीगण को वादी की उपरोक्त खातेदारी/सहखातेदारी की भूमि में जबरन सडक नही निकालने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना तथा वादी की खातेदारी भूमि में डाली गई मोरम को अविलम्ब हटवाया जाना लाजमी हुआ है।

वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि प्रतिवादीगण की **उक्त अविधिक कार्यवाही के बाबत वादी द्वारा पूर्व में भी विधिक कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी एवं तहसीलदार आमेर के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था** तथा विधिक नौटिस (प्रदर्श 7, 9) भी दिनांक 27.09.2019 को रजि. डाक प्रेषित किया गया था जिसका कोई जवाब आज दिनांक भी प्रतिवादीगण (प्रदर्श 8, 10) द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। प्रार्थी/वादी के तहसीलदार आमेर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में पटवारी हल्का कोर्ट द्वारा मौका जॉच कर रिपोर्ट (प्रदर्श–13) प्रस्तुत की गई थी। जिसके अनुसार भी **प्रार्थी/वादी की खातेदारी भूमि ख.नं. 140/1 रकबा 0.62 है. की पश्चिमी सीमा पर प्रतिवादीगण 3, 4 द्वारा मोरम डाली गई, पाई गई थी तथा विवादित भूमि का अथवा विवादित भूमि के आसपास भी गै.मु. रास्ता की भूमि नही होना पाया गया है तथा यह भी अंकित है कि सा.नि.विभाग द्वारा सडक निर्माण के संदर्भ में कोई सीमाज्ञान भी नही करवाया गया है।**

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री [illegible] जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि [illegible] खातेदारी की भूमि आ.ख.नं. 140 रकबा 0.62 है. आ.ख.नं. 140/1 रकबा 0.62 है तथा वादी की शामलाती खातेदारी की भूमि आ.ख.नं. 358 रकबा 0.78 है., आ.ख.नं. 373/525 रकबा 0.03 है. आ.ख.नं. 374 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.26 14:14:54 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.34 है. वाके ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर में जबरन सडक निर्माण नही करें तथा वादग्रस्त भूमि में डाली गई मोरम अविलम्ब हटावें।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के सन्दर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गए है–

01. सत्यप्रतिलिपि :– जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 (प्रदर्श 1) जिसके अनुसार आराजी भूमि ख.नं. 140, 140/1 वादी की एकल खातेदारी की भूमि है। जिसकी किस्म चाही 3 व जाव 3 है।

02. सत्यप्रतिलिपि :– नकल नक्शा ट्रेस ख.नं. 140 ग्राम सांगावाला (प्रदर्श 2)

03. सत्यप्रतिलिपि :– खसरा गिरदावरी सम्वत् 2075–2078 (प्रदर्श 3)

04. सत्यप्रतिलिपि :– जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 (प्रदर्श 4) जिसके अनुसार आराजी ख.नं. 358, 373/525, 374 वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसकी किस्म वारानी 3 जावं 3 है। (प्रदर्श 4)

05. सत्यप्रतिलिपि :– नकल नक्शा ट्रेस, ख.नं. 358, 373/525, 374 (प्रदर्श 5)

06. सत्यप्रतिलिपि :– नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2075–2078 जिसके अनुसार ख.नं. 358, 373/525, 374 वादी की सहखातेदारी की भूमि है। जिसकी किस्म बारानी 3 है। (प्रदर्श 6)

07. मूलप्रति :– सहायक अभियन्ता सा.नि. विभाग उपखण्ड आमेर को प्रेषित नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. (प्रदर्श 7) व रसीद रजिस्ट्री (प्रदर्श 8)

08. मूलप्रति :– अधिशासी अभियन्ता सा.नि. विभाग शाहपुा को प्रेषित नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. (प्रदर्श 9) व रसीद रजिस्ट्री (प्रदर्श 10)

09. मौका फोटोग्राफ :– (प्रदर्श 11) (प्रदर्श 12)

10. सत्यप्रतिलिपि :– पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 11.11.2019 (प्रदर्श 13)

11. मूलप्रति :– प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कांट (प्रदर्श 14)

12. साक्ष्य शपथ पत्र :– वादी कालूराम (PW 1)

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी[illegible] उपस्थित होकर जवाब वादपत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 के बावजूद तामिल नोटिस उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए तथा प्रतिवादी 4 द्वारा वादपत्र का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.26 14:14:54 IST
Reason: SelfAttested

जवाब प्रस्तुत नही करते हुए विवादित भूमि के गै.मु. रास्ता को भूमि नही होने बाबत लिखित स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की गई। जिसके पश्चात अग्रिम कार्यवाही के नियत रहते निरन्तर .अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी 4 के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रतिवादी पक्ष द्वारा किसी भी स्तर पर तथा किसी भी प्रकार से वाद का खण्डन नही किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई ।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी व तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श–1, 4 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सम्वत 2075–2078 अनुसार आराजी भूमि खसरा नम्बर 140, 140/1 वादी की एकल खातेदारी में दर्ज है। जो कि गैर मुमकीन रास्ता भूमि नही होकर किस्म चाही 3 व जाव 3 के रूप में दर्ज/अंकित है। इस प्रकार साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श–4 व प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2075–2078 से भी अन्य विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 358, 373/525, 374 का भी गैर मुमकिन रास्ता भूमि नही होकर बारानी 3 किस्म होना सिद्ध/स्पष्ट होता है। इस क्रम में अन्य साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श–13 पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट दिनांक 11.11.2019 के अनुसार भी उल्लेखित विवादित भूमि आ.ख.नं. 140/1 रकबा 0.62 है. की पश्चिमी सीमा पर मोरम डाली हुई पाई गई है जो कि वादी खातेदारी भूमि है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि का विधिक सीमाज्ञान भी नही करवाया जाना अंकित है तथा उक्त भूमि का गैर मुमकिन रास्ता भूमि नही होना भी प्रदर्शित किया गया है एवं वर्णित विवादित भूमि के आसपास गैर मुमकिन रास्ता भूमि नही होना बताया गया है।

उपरोक्त साक्ष्यों से यह बखूबी स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता नही होकर वादी की खातेदारी व सहखातेदारिता की कृषि भूमि है। जिसमें रास्ता निकालने हेतु प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 द्वारा किसी प्रकार की प्रक्रिया अमल में नही लायी गई है तथा स्वयं प्रतिवादी सं. 4 द्वारा भी उक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता भूमि नही होना न्यायालय हाजा के समक्ष लिखित रूप से स्वीकार भी गया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 140,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Lodha
Date: 2021.02.26 14:14:54 IST
Reason: SelfAttested

140/1 कुल खसरा किता 2 रकबा 1.24 है. तथा वादी की शामलाती सहखातेदारी भूमि आ.ख.नं. 358, 373/525, 374 कुल खसरा किता 3 रकबा 1.15 है वाके ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर में विधिक प्रक्रिया के अभाव में जबरन सडक निर्माण कार्य ना करें तथा भूमि में डाली गई मोरम को यथशीघ्र हटवाया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.26 14:14:54 IST
Reason: SelfAttested